न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 24 / 2024

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. दलजीत कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरसमीत कौर पत्नी गगनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

———वादीगण

बनाम

1. अनाम सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति जटसिख साकिन संगरिया निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मंगतूराम पुत्र रामप्रताम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मनप्रीत कौर पत्नी रामकृष्ण उर्फ कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. रणजीत राम पुत्र रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. लखवीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक शाखा धौलीपाल
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :—

1. श्री कैलाश सिंवल —वकील वादीगण
2. श्री बन्टुश बिश्नोई—वकील प्रति.सं.1ता6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.21 16:02:07 IS
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

वादीगण दलजीत कौर वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के विरुद्ध [illegible] वाद बाबत् खाता विभाजन के तहत दिनांक 01.02.2024 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक नं. 20 ए.एम.पी. जमाबन्दी सवंत 2070–73 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई के खाता सं. 3/19 खाता अनामसिंह आदि में दर्ज कुल खाता 5.9460 है.0 नहरी मय गै.मु. में सें वादीया सं. 1 दलजीत कौर के नाम से 1582/5950 हिस्सा तथा वादी सं. 2 गुरसमीत कौर के नाम से 1518/5950 हिस्सा नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। समस्त कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/154	3	14, 17/1
120/155	8	3,4,5/1,5/2,6/1,6/2,7,8,13/2, 14, 15/1,15/2
121/155	7	3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/5, 6, 7, 14, 15
122/155	6	8,9,10,11,12,13
122/162	43	1/2, 1/4

इस प्रकार कुल 5.9460 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में अच्छी मन्दी के अनुसार कब्जा काश्त की सुविधा खाला रास्ता के अनुसार अर्सा दराज पूर्व घरा घरू बंटवारा कर लिया है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि आयी है।

वादीया सं. 1 दलजीत कौर के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
122/155	6	8,9,10,11,12,23/0.253 है.प्रत्येक नहरी कुल 1.518 है. नहरी

वादीया सं. 2 गुरसमीत कौर के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/155	7	4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6,7,14,15/0.253 है.प्रत्येक कुल 1.518 है. नहरी

वादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मुताबिक घरा घरू बंटवारा के अनुसार काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है किन्तु कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि को वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगणका खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rake... Meena
Date: 2024.05.21 15:02
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

[illegible] जावे। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से अलग–अलग निवेदन [illegible] वादपत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि के अनुसार वादीगण को [illegible] अलहदा होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादीगण के इस न्यायोचित [illegible] से स्पष्ट इन्कार हो गये. बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद [illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.स. 1 ता 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 1 नियम 10(2) पेश कर निवेदन किया कि प्रति.सं. 7 का नाम वादपत्र से विलोपित किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रति.सं. 7 का नाम विलोपित किया गया। प्रतिवादी सं. 8 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 20 ए.एम.पी. जमाबन्दी सवंत 2070–73 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई के खाता सं. 3/19 खाता अनामसिंह आदि की प्रति पेश की। साक्ष्य वादी मे वादी दलजीत कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष मे वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 सह खातेदार है। वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता की है। वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 20 ए.एम.पी. जमाबन्दी सवंत 2070–73 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई के खाता सं. 3/19 खाता अनामसिंह आदि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। प्रति.सं. 1 ता 6 का जवाबदावा मय काउंण्टर क्लेम पेश हुआ। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 6 डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.21 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 6 डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि :–

वादीया सं. 1 दलजीत कौर के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

नायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
122/155	6	8,9,10,11,12,23/0.253 है.प्रत्येक नहरी कुल 1.518 है. नहरी

वादीया सं. 2 गुरसमीत कौर के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/155	7	4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6,7,14,15/0.253 है.प्रत्येक कुल 1.518 है. नहरी

प्रतिवादी सं. 1 अनाम सिंह के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/155	8	6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.189 कुल 0.442 है. नहरी मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 2 व 4 क्रमशः मंगतूराम, रणजीतराम पि.रामप्रताप के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/155	8	13/2/0.127, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु.खाला कुल 0.633 है. नहरी मय गै.मु.।

प्रतिवादीया सं. 3 मनप्रीत कौर के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
120/154	3	14/0.253, 17/1/0.127 है. कुल 0.380 है. नहरी मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 5 राजवीर सिंह के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
121/155	7	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.खाला 3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228, 5/2/0.025
120/155	8	7/0.064, 8/0.253 है. कुल 1.329 है. नहरी मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 6 लखवीर सिंह के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं. 3/19 जं.सं. 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
122/162	43	1/2/0.107, 1/4/0.019 है. कुल 0.126 है. नहरी मय गै.मु.।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 16:02
Reason: SelfAttested